तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर अहकाम हुक्म के मुताबिक में जारी
	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा भीलवाड़ा लक्ष्मण सिंह बनाम भवर खा मुसलमान किस्म - प्रार्थना पत्र नं.- 41/17	
16-6-17	पत्रावली आज समक्ष लोक अदालत शिविर मुकाम निम्बाहेड़ा कला मे पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता व विपक्षी क्र० 23, 24 मय वकील उपस्थित। वकुलाय फरिकेन द्वारा प्रार्थना पत्र पर बहस करना चाहने से बहस उभयपक्ष सुनी गई। अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यो की ताईद करते हुए बहस मे कथन किया कि अप्रार्थीगण क्र० 23, 24 द्वारा विवादित आराजी सं० 534 जरिये विक्रय इकरार पत्र खरीदी जा चुकी है और आ० सं० 533 535 भी वर्तमान मे सामलाती हक से दर्ज रेकार्ड है सर्वप्रथम विवादित आराजियात का विभाजन कराये जाने उपरान्त ही आराजियात की पत्थरगढी की जा सकेगी अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से काबिले खारिजी के है। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से विपक्षी के तर्को का अपनी बहस मे समायत तथ्यो मे कोई ठोस खण्डन मौजूद नही है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी वकील के द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे प्रस्तुत नही की गई जिससे अपने प्रार्थना पत्र मे इंगित तथ्यो को सिद्ध किया जा सके। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा की गई बहस	S.D. नारायण सिंह

App.-A
Crim-1

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत S.D.O मुकाम बनेड़ा

लक्ष्मण सिंह बनाम शकूर खां मुसलमान

किस्म मुकदमा प्रा०पत्र 111, 128, 129 CRPC नं. 41/17 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान अभिभाषक विपक्षी के तर्कों से हम सहमत हैं कि विवादित आराजियात का सर्व प्रथम विभाजन होने उपरान्त ही पत्थरगढ़ी कीया जाना संभव है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रा०पत्र पोषणीय नहीं होना प्रतीत होता है प्रार्थीगण का प्रा०पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.	